[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 12/2025-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी, 2025

सा.का.नि....(अ).- केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3 उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 476(अ) दिनांक 6 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 19/2019 सीमाशुल्क दिनांक 6 जुलाई, 2019, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्यांक 10, 11, 12 और 13 के सामने,-

(i) स्तंभ (2) में, "या 90" शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर, "90 या 93" आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ii) स्तंभ (3) में,-

(क) "गोला बारूद" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) मद (II) के पश्चात निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(III) उपरोक्त (I) मद पर उल्लिखित मालों के लिए गोला बारूद"।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2025 को प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 334/03/2025-टीआरयू]

(अमीता टाइटस)

उप सचिव, भारत सरकार

टिप्पणः मूल अधिसूचना सं.19/2019-सीमाशुल्क, दिनांक 6 जुलाई, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि.476 (अ), दिनांक 6 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित की गयी थी और अधिसूचना संख्या 45/2024-सीमाशुल्क, दिनांक 30 सितंबर, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी जो भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं.604 (अ), दिनांक 30 सितंबर, 2024 द्वारा प्रकाशित की गयी थी ।